JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारतीय राजनीति एवं अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर श्री ओम बिरला के संदर्भ में

Author – Mohamad Azruddin Khan. At Present Research Working Scholar at Maulana Azad University, Jodhpur, Rajasthan.

ओम बिरला (जन्म–4 दिसम्बर 1962) भारत के राजस्थान से एक राजनीतिज्ञ और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। वे कोटा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। वे 2008 में तेहरवीं राजस्थान विधान सभा हेतु कोटा दक्षिण से विधायक भी रह चुके हैं।

भारत में राजनीतिक प्रणाली, देश के नागरिकों को अपने अनुसार सरकार चुनने का अधिकार देती है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश में जनता सरकार का निर्माण करने में अपना योगदान देती है और अगले चुनाव के दौरान सरकार से असंतुष्ट होने पर सरकार को बदलने की शक्ति रखती है। राजनेता लोगों को सरकार के माध्यम से योजनाओ को अवगत कराते है। राष्ट्र को मज़बूत और प्रभावशाली बनाने के लिए लोगो को राजनेताओ के निर्देशों का पालन करना पड़ता है।राजनीति किसी भी सरकार का आधार होती है। अपने वोट बैंक के समर्थन को भरने के लिए राजनेता विभिन्न कार्यक्रमों को अंजाम देते है। हमारे देश में कुछ ईमानदार राजनीतिक नेता हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे अधिकांश नेता भ्रष्ट हैं। भारतीय नागरिक को वोट देने के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक होना ज़रूरी है। वोट देना सभी नागरिको का संवैधानिक अधिकार है। राजनेताओ की भ्रष्ट मानसिकता देश की उन्नति में बाधक बनकर खड़ी है। इस भ्रष्ट राजनीति की वजह से देश की आम जनता पीड़ित है। आम आदमी प्रत्येक महीने हर प्रकार के टैक्स भरता है। लेकिन फिर भी सड़के और बाकी सभी मुश्किलें वैसी की वैसी है। भ्र्ष्टाचार राजनीति का एक गंदा चेहरा बनकर और उभर कर सामने आ रहा है। आम लोगो को इसकी परख करनी होगी और सही नेताओ और राजनितिक पार्टियों का चुनाव करना होगा। देश में कुर्सी को जीतने के लिए एक राजनितिक दल दूसरे दल के खिलाफ झूठी खबर फैलाते है। हमेशा राजनेता वोट के वक़्त भाषण देते है और अपनी पार्टी को सही और दूसरी पार्टी को हर मामले में गलत ठहराते है। वोट ज़्यादा प्राप्त करने के लिए हर राजनितिक दल अपना हथकंडा अपनाते है। आप कह सकते है, राजनेता अधिक वोट प्राप्त करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद जैसी रणनीति का इस्तेमाल करना नहीं भूलते है। देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए देशवासी कर भरते है। भ्रष्ट राजनेता उन मेहनत के पैसो को अपने जेब में भर लेते है। हिन्दुस्तान को आजादी के पश्चात जितना विकास करना चाहिए था, उतना विकास दुर्भाग्यवश इन भ्रष्ट राजनेताओ के कारण नहीं कर पाया है। राजनेता अपने हितो और स्वार्थ के लिए, जनता के साथ छल कपट करते है। देश की अर्थव्यवस्था की दुर्दशा करने वाला प्रमुख कारक है भ्रष्टाचार। भ्रष्ट नेताओ को अपने गद्दी से अधिक प्रेम होता है। उसको बनाये रखने के लिए वे आम लोगो को मूर्ख बनाते है। अधिकतर चुनावों में यही देखने को मिलता है। लोग ऐसे भ्र्ष्ट नेताओ को समर्थन कर बैठते है और बाद में उन्हें निराश होना पड़ता है। भारत में दो प्रमुख राजनीतिक दल है, एक है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हर राजनैतिक दल के समक्ष एक प्रतीक चिन्ह होता है, जिसे चुनाव आयोग के पास पंजीकृत होना ज़रूरी है। इन प्रतीक चिन्हो को पहचानकर अशिक्षित गरीब लोग वोट दे सकते है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर तीन गठबंधन है, एनडीए, यूपीए और तीसरा मोर्चा।

भारत की राजनितिक व्यवस्था – भारत के राष्ट्रपति हमारे देश में राज्य के प्रमुख हैं, जबकि प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख हैं। हमारे पास एक ऊपरी सदन है, जिसे राज्य सभा के नाम से जाना जाता है। एक निचला सदन जिसे लोकसभा के रूप में जाना जाता है। इन सदनों के सदस्यों को संसद सदस्य के रूप में जाना जाता है।

लोकसभा – लोकसभा में कुल मिलाकर 545 सदस्य हैं। देश की आम जनता द्वारा 543 लोकसभा सदस्य चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। देश के राष्ट्रपति, जो लोकसभा सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। उम्मीदवार की आयु लोकसभा सदस्यता के लिए तकरीबन 25 वर्ष होना अनिवार्य है। लोकसभा का अध्यक्ष श्री ओम बिरला है।

राज्यसभा – राज्यसभा में लगभग 245 सदस्य होते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा राज्य सभा के 233 सदस्य चुने जाते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के माध्यम से नामांकित किया जाता है।उम्मीदवार को राज्य सभा सदस्य बनने के लिए उनकी आयु 30 साल होनी ज़रूरी है। देश के संसद सदस्य, राजनीतिक प्रणाली के अभिन्न अंग है। ससंद सदस्य राजनीतिक फैसले लेने की ताकत रखते है। एक निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति को पांच वर्ष के लिए चुना जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। भारत का राष्ट्रपति राज्य और संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अभी भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद जी है। एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चयन किया जाता है।संसद के दोनों सदन के सदस्य इस फैसले के दौरान मौजूद होते है। अभी भारत के उपराष्ट्रपति जगदी"ा धनखड़ है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री परिषद के पास कार्यकारी शक्ति रहती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद मंत्रियों का दल है, जिसके साथ प्रधानमंत्री काम करते है। कार्य को विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में अलग दृ अलग मंत्रियों के बीच बाँट दिया जाता है। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। वर्त्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। सरकार का गठन भारत में पाँच वर्षों के लिए किया जाता है। आजकल भारत में कई राजनीतिक दल बन गए है, जिनके उमीदवार अपने दल का प्रतिनिधित्व करते हुए चुनाव में लड़ते हैं। जिस दल को चुनाव में बहुमत मिलता है वह सत्ता में आ जाती है। लोगों द्वारा देश की सरकार देश हित की उम्मीद से बनायी जाती है। आम जनता को बहुत सारी मुश्किलें अपने दैनिक जीवन में झेलनी पड़ती है। जिसका प्रमुख कारण, हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर भ्रष्टाचार है। अधिकांश राजनीतिक नेता भ्रष्टाचार में लिप्त होते है। हमारे राजनेताओं की ऐसी मानसिकता देश हित पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। भ्रष्टाचार से देश की जनता सबसे अधिक पीड़ित है। आजकल जनता पर अधिक मात्रा में कर लगाया जा रहा है। देश को विकसित और उन्नति की तरफ ना ले जाकर, इन पैसो का इस्तेमाल भ्रष्ट नेता अपने बैंक खाते भरने के लिए करते हैं। इन्ही सब कारणों के वजह से हमे आजादी के बाद जितना विकास करना चाहिए था उतना हम नहीं कर पाए है। राजनीति का सीधा संबंध दलीय राजनीति से भी होता है। इस प्रकार की राजनीति में विभिन्न गुट सैद्धानिक सोच का तिरस्कार करते हुए, घटिया दर्जे की राजनीति का खेल खेलते है।आधुनिक राजनीतिज्ञो के लिए राजनीति देश सेवा नहीं, बल्कि एक पैसा कमाने का पेशा है। उनकी विचारधारा में देश सिर्फ उनके स्वार्थो को पूरा करने का एक जरिया है। दलीय राजनीति में सिर्फ दल प्रमुख होता है, ना कि देश। भोले भाले विद्यार्थी गण इन कुटिल राजनीतिज्ञों के हाथो की कटपुतली मात्र है। विद्यार्थियों के उत्साह को गलत मार्ग दिखाते है और उनकी कमज़ोरी का फायदा उठाते है। विद्यार्थियों को आंदोलन के नाम पर थोड़ फोड़ करने के लिए उकसाते है। ऐसे विद्यार्थी अपने जिन्दगी के मार्ग में गुम हो जाते है और समाज विरोधी कार्यो के दलदल में फंस जाते है।छात्रों को बिना सोचे समझे राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। छात्रों को विद्या ग्रहण करने के साथ देश की राजनीति का सम्पूर्ण अध्ययन करना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने मत उजागर करने चाहिए और मताधिकार का सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए। झंडे और डंडे वाली राजनीति में नहीं कूदना चाहिए। भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेना राजनीति नहीं, बल्कि वह राष्ट्र धर्म था। राष्ट्रीय दायित्वों को निभाना विद्यार्थियों और युवा वर्ग का परम् कर्त्तव्य है। अगर कोई भी भारतीय नागरिक चाहे, तो चुनाव लड़ सकते है। उसके लिए उनकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत में सरकार के विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने के लिए कोई शिक्षा मानदंड नहीं है और यह सबसे बड़ी परेशानी है। भारत में कई नेता अशिक्षित है। अगर नेता ही अशिक्षित होंगे और उनके हाथों में देश को चलाने की बागडोर होगी, तो लोग क्या यह उम्मीद कर सकते है कि देश का विकास सही दिशा में होगा?

अगर आपको चुनाव में खड़े होने वाला कोई भी उम्मीदवार योग्य और उपयुक्त नहीं लगता है, तो हम छव्ज। का उपयोग कर सकते है। इसका मतलब है नॉन ऑफ़ दा अबोव। इस प्रणाली को निर्वाचन आयोग ने विकसित किया है, ताकि वह जान सके कि कितने प्रतिशत लोग किसी भी उम्मीदवार को वोट देने लायक नहीं समझते है। आप भी अगर किसी भी उम्मीदवार से सहमत नही है, तो नोटा का बटन दबा सकते है। इस बटन का रंग गुलाबी

होता है। पहली बार नोटा विकल्प का उपयोग 2013 में हुआ था।भारतीय निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनावों में इस नोटा बटन को उपलब्ध करवाया था।

देश की उन्नति के लिए शिक्षित राजनेताओ की ज़रूरत है। अगर नेता शिक्षित होंगे, तो निश्चित तौर पर समाज और देश के सच्चे मार्ग दर्शक बनेगे। जब तक राजनितिक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, तब तक देश समृद्ध राष्ट्र नहीं बन पायेगा। देश को ईमानदार और कड़ा परिश्रम करने वाले नेताओ की ज़रूरत है। हमे जागरूक नेताओ की ज़रूरत है, जो देश के सुन्दर आज और भविष्य का निर्माण कर पाए। देश की कुछ लोकप्रिय महिलाएं है, जिन्होंने सशक्त रूप से राजनीति में कदम रखा और यह साबित किया कि औरत सिर्फ घर, दफ्तर ही नहीं, बल्कि देश भी सुचारु रूप से चला सकती है। इंदिरा गाँधी भारत में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और फिर देश की तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी। वह एक मज़बूत विचारधाराओ वाली महिला थी और राजनीति में उनकी बेहद दिलचस्पी थी।पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मज़बूत इरादों वाली महिला है। उन्हें इतना आत्मविश्वास था कि 1998 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर अपने अलग संगठन का गठन किया था। वह भारतीय तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक है। पश्चिम बंगाल में वह बेहद प्रसिद्ध है और लोग उन्हें श्रद्धा से दीदी कहते है। जयललिता भी तमिलनाडु में प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता के रूप में जानी जाती है। उन्हें तमिलनाडू के लोग माँ कहकर सम्बोधित करते है। प्रतिभा पाटिल भी राजनीति क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रही। देश के बाहरवें राष्ट्रपति के रूप में वह कार्यरत रही। उन्होंने महज़ 27 साल की उम्र से राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने राज्यसभा की सदस्य होने के साथ, लोकसभा के संसद सदस्य के तौर पर कार्य किया। पुरुषो के साथ महिलाओं ने भी राजनीति क्षेत्र में अपनी भूमिका निभायी है। अच्छे राजनेता है लेकिन हमे और अधिक भले और सच्चे राजनेताओ की ज़रूरत है। समाज को उन्नति का आईना दिखाने वाले शिक्षित युवाओ की ज़रूरत है, जो नेता के पद पर अच्छे कार्य कर सके। हमारे देश में अधिकतर नेता सत्ता में आने से पूर्व, देशवासियों से मीठे मीठे वादे करते है। जैसे ही उन्हें उनकी कुर्सी मिल जाती है, वे अपना असली रंग दिखाने लगते है। लोग राजनेताओ पर विश्वास करके और भविष्य में उनकी योजनाओ से प्रभावित होकर वोट देते है। बदले में भ्र्ष्ट नेताओ से उन्हें धोखा मिलता है। अक्सर यह देखा गया है की नेता सत्ता में आने से पहले आम जनता से कई तरह के वादे करते हैं, परन्तु सत्ता हासिल करने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। ऐसा हर चुनाव में होता है। गरीब जनता को हर बार भ्रष्ट नेता बेवकूफ बना जाते है। अक्सर देश के मंत्रियों और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओ के घोटालो में भागीदार होने के समाचार आते है और लोगो को सोचने पर मज़बूर कर देते है कि आखिर उन्होंने अपने देश अथवा राज्य के लिए गलत लोगो की पार्टी का चुनाव किया। सत्ता में होने के कारण इन भ्रष्ट लोगो को सजा नहीं होती है और वे गैर कानूनी तरीके से छूट जाते है। कानून सब के लिए बराबर है और ऐसे भ्रष्ट नेताओ को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कुछ देशवासी रिश्वतखोरी के लिए सिर्फ मंत्रिपरिषदो पर आरोप लगाते है। यह एक विडंबना है कि हमारे समाज में कुछ लोग खुद अपने कार्य को जल्द पूरा करने के लिए और नौकरी पाने के लिए रिश्वत का सहारा लेते है। अगर आज देश का धन वितरण और आर्थिक व्यवस्था प्रभावित है, तो उसका पूरा श्रेय भ्र्ष्ट नेताओ को जाता है। इस प्रकार की प्रदूषित राजनीति पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। लोगो को एकजुट होकर देश को भ्र्ष्टाचार मुक्त कराना होगा। हमारी शक्ति, हमारी एकता है और इस एकता से हम अनैतिक राजनीति के खिलाफ आवाज़ उठा सकते है। जैसे भारतीय लोगो ने अंग्रेज़ो के खिलाफ आंदोलन छेड़कर पूरे देश को आज़ाद करवाया था। उसी प्रकार हमे देश को भ्रष्टाचार जैसी गन्दगी से आज़ादी दिलवानी होगी।

देश की राजनितिक व्यवस्था भ्रष्टाचार के चपेट में है। लेकिन हमे सूझ बुझ और आत्म चिंतन करने के बाद राजनितिक नेताओं का चुनाव करना चाहिए। देश की प्रगति के लिए निश्चित रूप से राजनितिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। समाज की भलाई और राष्ट्र हित के लिए सकारात्मक परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। जब राजनितिक व्यवस्था अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा। भ्रष्टाचार मुक्त देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। समाज के सकारात्मक बदलाव की दृष्टि से राजनितिक व्यवस्था प्रणाली को बदलना अनिवार्य है।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थः

मुख्य रूप से राष्ट्रों के मध्य पाई जाने वाली राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संज्ञा प्रदान की जाती है। यदि राजनीति के अर्थ का अध्ययन करें तो इसके अंतर्गत तीन प्रमुख बातें सामने आती हैं– 1) समुदायों का अस्तित्व,

2) समुदायों के बीच मतभेद, 3) कुछ समुदायों द्वारा अन्य समुदायों के कार्यों को प्रभावित करने का प्रयास। जब इन्हीं बातों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाता है, तब ये तीन बातें सामने आती हैं– 1) राज्यों का अस्तित्व, 2) राज्यों के बीच मतभेद, 3) कुछ राज्यों द्वारा अन्य राज्यों के कार्यों को प्रभावित करने का प्रयास। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्र अपने हित साधन के लिए अपने शक्ति के आधार पर संघर्ष की जिस स्थिति में रहते हैं, उसी का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषाएं : अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद हैं। कतिपय प्रमुख लेखकों द्वारा व्यक्त परिभाषाएं निम्नलिखित हैं–

1) थॉम्पसन के अनुसार "राष्ट्रों के बीच छिड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ–साथ उनके पारस्परिक संबंधों को सुधारने या बिगाड़ने वाली परिस्थितियों और संस्थाओं के अध्ययन को अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहते हैं।"

2) फेलिक्स ग्रॉस के अनुसार "अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है।"

3) हैंस जे. मार्गेथाऊ के अनुसार "अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है।"

स्वरूपः

1) अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में विभिन्न बदलाव के बाद भी आज भी इसका मुख्य केन्द्र बिन्दु राज्य ही है। मूलतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्यों के मध्य अन्तः क्रियाओं पर ही आधारित होती है प्रत्येक राज्यों को अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति हेतु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की सीमाओं में रह कर ही कार्य करने पड़ते हैं। परन्तु इन कार्यों के करने हेतु विभिन्न राज्यों में संघर्षात्मक व सहयोगात्मक दोनों ही प्रकार की प्रतिक्रियाएँ होती हैं। इन्हीं प्रतिक्रियाओं और इनसे जुड़े अन्य पहलुओं का अध्ययन ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की प्रमुख सामग्री होती है।

2) अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दूसरा महत्वपूर्ण कारक शक्ति का अध्ययन है। द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरांत कई दशकों तक विशेषकर शीतयुद्ध काल में, यह माना गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख उद्देश्य शक्ति संघर्षों का अध्ययन करना मात्र ही है। परन्तु पूर्ण रूप से यह सत्य नहीं है। शायद इसीलिए हम देखते हैं कि शीतयुद्धोत्तर युग में शक्ति संघर्ष के साथ–साथ आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक आदि संबंध भी उतने ही महत्वपूर्ण बन गये हैं । हां इस तथ्य को भी पूर्ण रूप से नहीं नकार सकते कि शक्ति आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण कारक है।

3) अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अन्य कारक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन भी है। आधुनिक युग राज्यों के बीच बहुपक्षीय संबंधों का युग है। राज्यों के इन बहुपक्षीय संबंधों के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, सैन्य, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रो में सहयोग के मार्ग प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र,विश्व बैंक, मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन,विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को आदि जैसे संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का प्रमुख हिस्सा बन गए हैं।

4) युद्ध व शान्ति की गतिविधियों का अध्ययन भी आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिन्न अंग बन गया है यह सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति न तो पूर्ण रूप से सहयोग और न ही पूर्ण रूप से संघर्षों पर आधारित है। अतः मतभेद व सहमति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सहचर हैं। इन दोनों की उपस्थिति का अर्थ है यहां युद्ध व शान्ति दोनों की प्रक्रियाएँ विद्यमान हैं। विभिन्न मुद्दों पर आज भी राष्ट्रों ने युद्ध के विकल्प को नहीं त्यागा है। शीतयुद्ध के साथ–साथ राज्यों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध आज भी हो रहे हैं। इसीलिए युद्धों को रोकने हेतु शान्ति प्रयासों पर भी अत्यधिक बल दिया जाता है। इसीलिए इन युद्ध व शान्ति के पहलुओं का अध्ययन करना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख भाग बन गया है।

5) अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राज्य अपने राष्ट्रीय हितों का संवर्धन एवं अभिव्यक्ति करते हैं। यह प्रक्रिया केवल एक समय की न होकर निरन्तर चलती रहती है। इस प्रक्रिया का प्रकटीकरण राज्यों की विदेश नीतियों के माध्यम से होता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में विदेशी नीतियों का आकलन एक अभिन्न अंग बन गया है।

6) राष्ट्रों के मध्य सुचारू, सुसंगठित एवं सुस्पष्ट संबंधों के विकास हेतु कुछ नियमावली का होना अति आवश्यक होता है। अतः राज्यों के परस्पर व्यवहार को नियमित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सुचारू स्वरूप एवं भविष्य के दिशा निर्देश हेतु भी इनकी आवश्यकता होती है।

7) राज्यों की गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मुद्दों का अध्ययन भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। परन्तु शीतयुद्ध के संघर्षों के कारण 1945–91 तक राजनैतिक मुद्दे ज्यादा अग्रणीय रहे तथा आर्थिक मुद्दे कमजोर हो गए। वर्तमान भूमण्डलीकरण के दौर में ज्यादातर राज्य आर्थिक सुधारों, उदारवाद, मुक्त व्यापार आदि के दौर से गुजर रहे है। ऐसी स्थिति में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अति महत्वपूर्ण हो गया है।

8) अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वर्तमान स्वरूप से यह स्पष्ट है कि अब इस विषय के अंतर्गत राज्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों की भूमिकाएं भी महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बढ़ते विषय क्षेत्र के साथ–साथ इसमें कार्यरत संस्थाओं एवं संगठनों का विकास भी हो रहा है। तीसरा, अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी आ रहे हैं, जो मानवता हेतु ध्यानाकर्षण योग्य बन गए हैं। इन सभी कारणों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का दायरा भी विकसित होता जा रहा है। आज इसमें राजनैतिक ही नहीं बल्कि गैर–राजनीतिक विषय जैसे पर्यावरण, नारीवाद, मानवाधिकार, ओजोन परत क्षीण होना, मादक द्रवों की तस्करी, गैर कानूनी व्यापार, शरणार्थियों व विस्थापितों की समस्याएँ आदि भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं इसके साथ–साथ गैर–सरकारी संस्थानों (एन.जी.ओ.) की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती जा रही है।

क्षेत्र : संक्षेप में, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय क्षेत्र को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है।

(1) अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रधान–पात्र राज्य का अध्ययनः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख पात्र(बजवत) राज्य होते हैं और इसके अन्तर्गत राज्यों के वाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। राज्यों के आपसी संबंध बड़े जटिल और कई प्रकारों के तत्वों; जैसे भू–राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, वैचारिक, सामरिक तत्वों से प्रभावित होते हैं। प्रत्येक देश का अपना भौगोलिक महत्व होता है और उसके अनुरूप ही देश को दूसरे पड़ोसी राज्यों के साथ सम्बन्ध रखने होते हैं। उदाहरणार्थ, भारत के पड़ोसी देश हैं– पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, वर्मा तथा श्रीलंका और इसी कारण भारत का सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व है। दूसरी तरफ भारत के लिए भी ये सारे देश विशिष्ट महत्व रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अन्तराष्ट्रीय राजनीति अन्तर्राज्यीय सम्बन्धों के अध्ययन पर बल देती है।

(2)शक्ति के अध्ययन पर बलः अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जितना अधिक बल शक्ति पर दिया गया है, उतना कदाचित किसी और विषय में नहीं दिया गया है। प्रो. हैन्स जे. मॉर्गेन्थाऊ ने लिखा है–"अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भाँति शक्ति–संघर्ष है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का अन्तिम लक्ष्य चाहे जो कुछ भी हो, शक्ति सदैव तात्कालिक लक्ष्य रहती है।" वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सभी राज्य शक्ति के उपार्जन के लिए प्रयत्नशील होते हैं और शक्ति का दृष्टिकोण ही उनकी विदेश नीति की रचना में सबसे अधिक निर्णायक भूमिका अदा करता है।

निष्कर्ष : अतः अंतरराष्ट्रीय राजनीति उन क्रियाओं का अध्ययन करना है जिसके अंतर्गत राज्य अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति हेतु शक्ति के आधार पर संघर्षरत रहते हैं। इस सन्दर्भ में राष्ट्रीय हित अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख लक्ष्य होते हैं; संघर्ष इसका दिशा निर्देश तय करती है; तथा शक्ति इस उद्देश्य प्राप्ति का प्रमुख साधन माना जाता है।